पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित सभी हितधारकों के लिए

आवश्यक सूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के विभिन्न प्रावधानों के तहत नीचे वर्णित विभिन्न नियमावलियों में उल्लिखित इकाईयों/हितधारकों द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को प्रत्येक वर्ष 31दिसम्बर/31मार्च को समाप्त हुए वर्ष के पश्चात एक निर्धारित तिथि तक उक्त वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना एक कानूनी बाध्यता है:-

क्र. सं.	नियमावली का विवरण	संबंधितों/हितधारकों का विवरण	अंतिम तिथि
1.	पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 14 के तहत इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट, **फार्म- V** में	'जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974' की धारा 25, 'वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की धारा 21 के तहत सहमति प्राप्त करने वाले एवं 'परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमा पारीय संचरन) नियमावली, 2016' के तहत प्राधिकार प्राप्त करने वाली इकाईयाँ।	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 सितम्बर
2.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 24(2) के तहत **प्रपत्र- IV** में	सभी स्थानीय निकाय, नोटिफायड एरिया, नोटिफायड इंडस्ट्रियल टाउनशीप, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, एयरवेज एवं नियमावली में वर्णित अन्य सभी संबंधित।	31 दिसम्बर को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून
3.	ई. अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 4,8,9,10 एवं 11 के तहत **फार्म-III** में	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता, उत्पादक, संग्रहण केन्द्र, संचालक, नवीकरणकर्त्ता, वितरक, उपभोक्ता, एवं बड़े उपभोक्ता, भंजक, पुनः चक्रणकर्त्ता आदि।	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून
4.	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 7(iii)के तहत **फार्म-II** में	किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुन: प्रतिरूपण मरम्मत और रोड़ी वाले अपशिष्ट का जनन करने वाला व्यक्ति/संगठन अथवा प्राधिकरण।	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून
5.	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचरण) नियमावली- 2016 के नियम 16(6) के तहत **फार्म- IV** में	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचरण) नियमावली, 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति/संस्था/प्राधिकरण आदि	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून
6.	जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 13(i) के तहत **फार्म- IV** में	जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययनय, हस्तन करने वाले (यथा- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, पशु-चिकित्सा संस्थान, पशु घर, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालायें, रक्त बैंक, आयुष अस्पताल, क्लीनिकल संस्थान, शोध अथवा शैक्षिणक संस्थायें, स्वास्थ्य कैंप, मेडिकल अथवा शल्य कैंप, टीकाकरण कैंप, रक्त-दान कैम्प, विद्यालयों के प्राथमिक उपचार कक्ष विधि प्रयोगशालायें एवं शोध प्रयोगशालायें।) सभी अधिभोगी (Occupier) एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा उपचार केन्द्रों के संचालक।	31 दिसम्बर को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून
7.	प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम 17(ii) के तहत **फार्म- V** में	प्लास्टिक अपशिष्टों के पुन:चक्रणकर्त्ताओं एवं प्रसंस्करणकर्त्ताओं से नियमावली के नियम 17(i) के तहत फार्म- IV में प्राप्त प्रतिवेदनों पर आधारित नगर निकायों द्वारा समेकित प्रतिवेदन।	31 दिसम्बर को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30 जून

सभी संबंधित से अपेक्षित है कि वे उपरोक्त निर्धारित तिथि तक वार्षिक प्रतिवेदन पर्षद् को अवश्यमेव समर्पित करेंगे।

सदस्य-सचिव

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना - 800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, **फैक्स**- 0612-2261050

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट- http://bspcb.bih.nic.in